

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/स-1/साइकिल/22474/2011-12
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)।

दिनांक:-06.07.2011

MOST URGENT

विषय :- वर्ष 2011-12 की आयोजना मद की बी.एफ.सी. अन्तर्गत साइकिल वितरण योजना के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.1(7)शिक्षा-1/2009 दिनांक 29.04.11 द्वारा आयोजना मद की बी.एफ.सी. वर्ष 2011-12 में यह निर्णय लिया गया है कि छात्राओं से साइकिल हेतु प्राप्त अंशदान राजकोष में जमा करावें तथा साइकिल सप्लायर को पूर्ण भुगतान राजकोष से किया जावे।(The Contribution of girl student being provided for cycles should be deposited in the government account and the supplier the paid wholly from the government account.) अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट परिनिर्णायक समिति (आयोजना) 2011-12 में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्राओं से प्राप्त अंशदान को राजकोष के निम्न मद में जमा करावें। इसकी अक्षरशः पालना की जावे।

मद :-

- 0202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति
01- सामान्य शिक्षा
102- माध्यमिक शिक्षा
(03)- अन्य प्राप्तियां
(03)- अंशदान तथा वृत्तिदानों से आय

इसके साथ सत्र 2011-12 हेतु पात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या निम्न प्रपत्र में दिनांक 16.07.2011 तक अवश्य उपलब्ध करावें ताकि पात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या कय अनुभाग कार्यालय हाजा को उपलब्ध करवाई जा सके।

क्र.सं.	जिले का नाम	साइकिल हेतु वास्तविक पात्र छात्राओं की संख्या (कक्षा 9 में अध्ययनरत)			साइकिल हेतु वास्तविक पात्र छात्राओं की संख्या (कक्षा 10 में अध्ययनरत)			महायोग (5+8)
		माध्यमिक	संस्कृत	योग	माध्यमिक	संस्कृत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(Handwritten Signature)

प्रभारी अधिकारी,
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजकर निवेदन है कि साइकिल हेतु पात्र छात्राओं की वास्तविक मांग उपरोक्त प्रपत्र में आपके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालयों से प्राप्त कर दिनांक 16.07.2011 तक अवश्य उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
- 2 समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पाबन्द करें।
- 3 वरिष्ठ संपादक शिविरा पत्रिका को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देश आगामी अंक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
- 4 सिरस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 5 अनुभाग अधिकारी (पेन्शन स्थिरीकरण अनुभाग) कार्यालय हाजा।
- 6 अनुभाग अधिकारी (योजना अनुभाग) कार्यालय हाजा।

0202-01-102-03-03

(Handwritten Signature)
प्रभारी अधिकारी,